



16/6/2017

पञ्चावली राजस्व लोक अदालत केम्प
 पोस्टलाभला पर सुदुरत इध / प्राणीया
 मत्र अधिवक्ता इच्छित / विपक्षी ए. 2
 अनुष्णित / विपक्षी ए. 2 को प्रा. 0.
 का अवष है पर्याप्त अवसर प्राप्त
 जा चुके है किन्तु अवष पर विपक्ष
 जो अवष का अवसर खर्च विपक्ष
 जाता है वदल वकील प्राणी को
 एव पक्षीय सुनी है / वाद ग्रहण
 अग्रीमाल विपक्षी ए. 1 व 3 के नाम
 है है यदि सुनि का एतान्तरण होना
 है तो प्राणीया को अपुष्णिय इति
 कागित बना लेनावित होगा सुविधा
 सन्तुला प्राणीया के पक्ष में होना
 प्राणीया का प्रा. 0. 212 RTA एवम्पर
 विपक्ष जाता है तथा विपक्षीगठ को
 मुल वाद को निस्तारण तक जीधे
 अस्वादी निधेचासा ल पाछाद विपक्ष
 जाव है कि नामा रेगना की का.
 न 121, 122, 123, 124, 126, 127, 130.
 181, 191, 192, 193, 199 सित - 12
 मुल रकम पर 4:01 हेक्टेयर लक्ष का न.
 182 रकम 0.05 हेक्टेयर सुनि को
 राजस्व रकम एवं भूधे की अवाप्ति
 कायम रकम इतिम सिस्ती पुष्णर
 का पी लनतन गदी को न सिस्ती काय
 को माध्यम ल सुधे।

निर्णय पुले न्यायालय लि. 
 जासा सुनमा उष्ण / पञ्चावली पीठ
 सुनाद वेषु जावत स काम है


 16.6.17